

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग-2
संख्या— /XII(2)/ 2015/90(01)2003
दिनांक देहरादून 12 अक्टूबर, 2015
कार्यालय-आदेश/प्रोन्नति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति एवं उत्तर प्रदेश जिला परिषद (केन संकाम्य संवर्ग) नियमावली, 1966 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त लागू) तथा शासनादेश संख्या-5051 /33-2-900(29)/85, दिनांक 25 जून, 1986 में विहित व्यवस्था के अधीन निम्नांकित कर निरीक्षक राजस्व निरीक्षक को कर अधिकारी के रिक्त पदों पर वेतनमान 9300-34800/+ग्रेड पे-4200 अस्थाई रूप से कालम-3 में उल्लिखित चयन वर्ष के सापेक्ष नियमित पदोन्नति किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	चयन वर्ष	वर्तमान तैनाती स्थल/जनपद	अन्युकृति
1	2	3	4	5
1—	श्री कमलेश सिंह बिष्ट	2013-14	नैनीताल	—
2—	श्री हरि मोहन	2014-15	ऊधमसिंहनगर	—

- 2— उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप पदोन्नत कर अधिकारी संबंधित जनपदों में शासन के अ आदेशों तक यथावत रहेंगे।
- 3— उक्त कर अधिकारियों को एक वर्ष की परिविक्षा अवधि में रखा जाता है तथा पारस्पर्य ज्येष्ठता पृथक से निर्धारित की जायेगी।
- 4— उक्त कर अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित जनपदों में तत्काल योगदाते हुए योगदान आख्या शासन/निदेशक, पंचायतीराज को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 5— यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या-1027 / XII(2) / 2015 / 90(01)2003, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—निजी सचिव, मार्मन्त्री पंचायतीराज विभाग को मार्मन्त्री पंचायतीराज महोदय के संज्ञानार्थ।
- 2—सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या -219/25/ई-1/डी०पी०सी० 2015-16, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 के क्रम में सूचनार्थ।
- 3—आयुक्त, कुमौर मण्डल, नैनीताल।
- 4—निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5—जिलाधिकारी, जनपद— ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
- 6—अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
- 7—वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
- 8—संबंधित अधिकारी।
- 9—गार्ड फाईल।

अज्ञा से
(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या-1027
निदेशक वंचायतीराज
उत्तराखण्ड, देहरादून

मा० ११०
११०-१०-२०१४

२१-१०-२०१४
२५३८८१९
१६/१०/२०१५